संख्या-64/2017-2778 ई-2/तेरह-2017-142/2017

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 24 नवम्बर,2017

विषय:-उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से प्रदेश एवं देश के बाहर शीरा निर्यात की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-18/दस-144ए/शीरा निर्यात/हरियाणा, दिनांक 16 मई,2017, पत्र संख्या-जी-29/दस-144ए/शी0 नि0/पंजाब, दिनांक 12 जुलाई, 2017, पत्र संख्या-जी-51/दस-144ए/शी0 नि0/पंजाब, दिनांक 16 सितम्बर,2017 तथा पत्र संख्या-जी-57/दस-144ए/शी0 नि0/2009-10 दिनांक 23 अक्टूबर,2017 और इस सम्बन्ध में दि0 25-10-2017 को अवस्थापना एवं औदयोगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न शीरा विचलन समिति की बैठक का कार्यवृत्त पत्र संख्या-2602 ई-2/तेरह-2017-142/2017 दिनांक 27 अक्टूबर,2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों में प्रेषित प्रस्ताव एवं अवस्थापना एवं औदयोगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित् शीरा विचलन समिति की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश एवं देश के बाहर स्थित इकाईयों को उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से 85,000 मी0टन अर्थात् 8.5 लाख कुण्टल शीरा निर्यात की अनुमति निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रदान की जाती है:-

क्र0	इकाई का नाम	शीरे की आवंटित मात्रा
1-	मे0 कमलदीप इण्डस्ट्रीज, ग्राम मुमदी रादौर रोड, यमुनानगर, हरियाणा।	1.0 लाख कुण्टल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2-	मे0 धरनी शुगर्स एण्ड केमिकल लि0, तमिलनाडु।	4.5 लाख कुण्टल
3-	मे0 अरूणा डिस्टीलरी प्रा0लि0, पटखौली नवरपरासी, नेपाल।	1.0 लाख कुण्टल
4-	मे0 राणा शुगर्स लि0, पंजाब।	2.0 लाख कुण्टल

प्रश्नगत अनुमति इस प्रतिबंध के साथ है कि प्रदेश में देशी मदिरा के निर्धारित एम0जी0क्यू0 की प्राप्ति हेतु अल्कोहल/शीरे की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये चरणबद्ध ढंग से निर्यात की अनुमति दी जायेगी और वांछित मात्रा में शीरे की उपलब्धता न होने की दशा में निर्यात तत्काल रोक दिया जायेगा।

कृपया तद्नुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक त्रिवेदी)

अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।